16.1.19 अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी करने के आदेश दे दिये। जबकि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के सहखातेदारान है। अतः उपखण्ड अधिकारी, ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 17ए/2017 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.18 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे ।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.5..2018 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 3.5.2018 की कियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो

16.1.19

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर

डिविजनल क...
जोधपुर